रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 2003/आश्विन 28, 1925
No. 505] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2003/ASVINA 28, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

सं. 74/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 823(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2002–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 32क की प्रविष्टियों के स्तंभ (4) में "कुछ नहीं" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/40/2001-टीआरयू (पी.टी.)]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 6/2002–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा० का० नि० 127 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 64/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 अगस्त, 2003 [सा०का०नि० 638 (अ) तारीख 6 अगस्त, 2003] द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 October, 2003

No. 74/2003-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 32A, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted.

[F. No. 354/40/2001-TRU (Pt.)]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No.6/2002-Central Excise dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 127 (E) dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No.64/2003-Central Excise dated the 6th August, 2003 [G.S.R. 638(E) dated the 6th August, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

सं. 154/2003–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 824(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं0 72 संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 72क.	2710	एवगैस	कुछ नहीं	-	- ".

[फा. सं. 354/40/2001–टीआरयू (पी.टी.)]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 21/2002–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा0 का0 नि0 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 138/2003-सीमाशुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 2003 [सा0का0नि0 711 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2003

No. 154/2003-CUSTOMS

G.S.R. 824(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 72 and the entries relating thereto, the following S. No. and cntries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 72A.	2710	Avgas	Nil	-	- ".

[F. No. 354/40/2001-TRU (Pt.)]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 21/2002-Customs dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R 118 (E) dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 138/2003-Customs dated the 5th September 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R 711 (E) dated the 5th September 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

सं. 155/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 825(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2001—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, परंतुक में, खंड (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

(i) " (ग) 1 जनवरी, 2004 या उसके पश्चात, उक्त सारणी के, क्रम सं0 316 (ग) के समक्ष विनिर्दिष्ट माल " ;

(ii) सारणी में,-

(क) क्रम सं0 316क और स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(ख) क्रम सं0 316ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थातः-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 316ग	8528	इंटीग्रेटिड रिसीवर डिकोडर, जिसे सैट टॉप बाक्स के नाम से भी जाना जाता है	5 प्रतिशत	कुछ नहीं	- ".

[फा. सं. 354/2/2003-टीआरयू]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना सं0 21/2002—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा0 का0 नि0 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001] द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 138/2003-सीमाशुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 2003 [सा0का0नि0 711 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2003

No. 155/2003-CUSTOMS

G.S.R. 825(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

(i) in the opening paragraph, in the proviso, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

" (c) the goods specified against serial No. 316C of the said Table on or after the 1st day of January, 2004.";

(ii) in the Table,-

(a) S.No. 316A and the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;

(b) after S. No. 316B and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"316C.	8528	Integrated Receiver Decoder, also known as Set-top Box	5%	Nil	-".

[F. No. 354/2/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 138 / 2003-Customs, dated the 5th September, 2003[G.S.R. 711(E), dated the 5th September, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

सं. 156/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 826(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और ऐसे ही माल पर, भारत में उनके विक्रय या क्रय के समय तत्समय उद्ग्रहणीय अधकतम विक्रय कर, स्थानीय कर या किन्हीं अन्य प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 23/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में,—

(i) तीसरे परंतुक के स्थान निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" परंतु यह और कि 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात इस अधिसूचना की कोई बात उक्त सारणी के क्रम सं0 46 (ग) के समक्ष विनिर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होगा"

(ii) सारणी में,-

(क) क्रम सं0 46क और स्तंभ (2) से स्तंभ4) की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(ख) क्रम सं0 46ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रमू सं0 और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थातः-

(1)	(2)	(3)	(4)
"46ग.	8528	भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं0 316ग के समक्ष विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं "

[फा. सं. 354/2/2003-टीआरयू]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) , में अधिसूचना सं0 23/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा0 का0 नि0 120 (अ) , तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 119/2003-सीमाशुल्क, तारीख 28 जुलाई, 2003 [सा0का0नि0 612 (अ) तारीख 28 जुलाई, 2003] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2003

No. 156/2003-CUSTOMS

G.S.R. 826(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and having regard to the maximum sales-tax, local tax or any other charges for the time being leviable on like goods, on their sale or purchase in India, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.23/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

(i) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided also that nothing contained in this notification shall apply in respect of the goods specified under serial No. 46C of the said Table on or after the 1st day of January, 2004.";

(ii) in the Table,-

(a) S. No.46A, the entries in columns (2) to (4) shall be omitted;

(b) after S.No. 46B and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
46C.	8528	Goods specified against S.No 316C of the Table annexed to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated 1st March, 2002	Nil".

[F. No. 354/2/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Footnote: The principal notification No. 23/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 120(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended vide notification No. 119 / 2003-Customs, dated the 29th July, 2003[G.S.R. 612 (E), dated the 29th July, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

सं. 157/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 827(अ).— अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2903 12 00 के अंतर्गत आने वाले यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मैथीलीन क्लोराइड, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 17/1/2001-डीजीएडी, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि–

(क) यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मैथीलीन क्लोराइड, का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया था जिसके कारण पाटन हुआ था ;

(ख) घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई थी;

(ग) यह क्षति यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से हुए आयातों के कारण हुई थी;

3084 GI/2003-2

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 248 (अ), तारीख 27 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 27 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 49/2003–सीमाशुल्क, तारीख 2 मार्च, 2003 द्वारा मैथीलीन क्लोराइड पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 17/1/2001-डीजीएडी, तारीख 14 अगस्त, 2003 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 18 अगस्त, 2003 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(क) यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मैथीलीन क्लोराइड, का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया ह जिसके कारण पाटन हुआ है ;

(ख) घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से हुए आयातों के कारण हुई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित दर पर जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	टैरिफ मद	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन ईकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क	यूरोपीय संघ	दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	118	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	पैक्ड	यूरोपीय संघ	दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	80.9	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	118	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	80.9	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	दक्षिण अफ्रीका	यूरोपीय संघ और सिंगापुर के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	140.18	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	यूरोपीय संघ और सिंगापुर के अतिरिक्त कोई भी देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	140.18	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	36.30	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	2903 12 00	मैथीलीन क्लोराइड	बल्क या पैक्ड	दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	36.30	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 27 मार्च, 2003 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/4/2003–टीआरयू]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2003

No. 157/2003-CUSTOMS

G.S.R. 827(E).— WHEREAS in the matter of import of Methylene Chloride, falling under tariff item 2903 12 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the European Union, South Africa and Singapore, the designated authority *vide* its preliminary findings notification No.17/1/2001-DGAD dated the 24th December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th December, 2002, had come to the conclusion that –

(a) Methylene Chloride, originating in, or exported from, the European Union, South Africa and Singapore, had been exported to India below normal value, resulting in dumping;
(b) the domestic industry had suffered material injury;
(c) injury had been caused by imports from the European Union, South Africa and Singapore;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Methylene Chloride *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 49/2003–Customs, dated the 27th March, 2003, [G.S.R. 248 (E), dated the 27th March, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th March, 2003;

AND WHEREAS the designated authority, *vide* its final findings notification No.17/1/2001-DGAD, dated the 14th August, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th August, 2003, has come to the conclusion that -

(a) Methylene Chloride, originating in, or exported from, the European Union, South Africa and Singapore, has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
(b) the domestic industry has suffered material injury;
(c) injury has been caused by imports from the European Union, South Africa and Singapore;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of Methylene Chloride, originating in, or exported from, the European Union, South Africa and Singapore;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), originating in the countries or territory, as specified in the corresponding entry in column (5) , and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries or territory, as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Specification	Country or territory of origin	Country or Territory of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk	European Union	Any country other than South Africa and Singapore	Any producer	Any exporter	118	Metric Tonne	US Dollar
2.	2903 12 00	Methylene Chloride	Packed	European Union	Any country other than South Africa and Singapore	Any producer	Any exporter	80.9	Metric Tonne	US Dollar
3.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	Any country other than the European Union	European Union	Any producer	Any exporter	118	Metric Tonne	US Dollar
4.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	Any country other than the European Union	European Union	Any producer	Any exporter	80.9	Metric Tonne	US Dollar
5.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	South Africa	Any country other than the European Union and Singapore	Any producer	Any exporter	140.18	Metric Tonne	US Dollar
6.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	Any country other than the European Union and Singapore	South Africa	Any producer	Any exporter	140.18	Metric Tonne	US Dollar
7.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	Singapore	Any country other than the European Union and South Africa	Any producer	Any exporter	36.30	Metric Tonne	US Dollar
8.	2903 12 00	Methylene Chloride	Bulk or Packed	Any country other than the European Union and South Africa	Singapore	Any producer	Any exporter	36.30	Metric Tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 27th March, 2003, and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification, issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/4/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

3084-GI/2003 - 3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.